"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मार्च 2013—फाल्गुन 27, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 (फाल्गुन 27, 1934)

क्रमांक-4415/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 6 सन् 2013) जो दिनांक 18 मार्च, 2013 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 6 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची."

धारा 3 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 3 में शब्द "सात हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "आठ हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4-क का संशोधन. 5. मूल अधिनियम की धारा 4-क में शब्द "एक हजार सात सौ रुपये प्रतिमास दिये जायेंगे" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट राशि दी जायेगी" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4-ख का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में शब्द "पांच हजार रुपये प्रतिमाह की दर से" के स्थान पर "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 4-ग का संशोधन. 7. मूल अधिनियम की धारा 4-ग में जहां कहीं भी शब्द "सात सौ पचास रुपये की दर से" आया हो के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 7 का संशोधन. 8. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में शब्द "दो हजार पांच सौ रुपये का" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

9. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ा जाये, अर्थात् :— अनुसूची का अन्तः स्थापन.

अनुसूची

[धारा 2(घ) देखें]

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 3	सदस्यों का वेतन	रुपये 10,000 प्रतिमास
धारा 4	सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 25,000 प्रतिमास
धारा 4-क	टेलीफोन भत्ता	रुपये 3,000 प्रतिमास
धारा 4-ख	अर्दली भत्ता	रुपये 10,000 प्रतिमास
धारा 4-ग	दैनिक भत्ता	रुपये 750 प्रतिदिन
	विधान सभा की बैठकों या समिति की बैठकों में भाग लेने का अतिरिक्त दैनिक भत्ता.	रुपये 750 प्रतिदिन
धारा 7 (1)	सदस्यों को चिकित्सा भत्ता	रुपये 4,500 प्रतिमास

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्यों को प्रदत्त सुविधाओं में कुछ सुधार की आवश्यकता है. अतः छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) में संशोधन प्रस्तावित है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 11 मार्च, 2013

बृजमोहन अग्रवाल
संसदीय कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानित रुपये 3,05,10,000.00 (रुपये तीन करोड़ पांच लाख दस हजार) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपबंध

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 2 के खण्ड (ग) धारा 3, 4, 4-क, 4-ख, धारा 4-ग की उपधारा (एक) व उपधारा (दो) एवं धारा 7 (1) का सुसंगत उद्धरण —

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 2-ग	"सत्र" से अभिप्रेत है वह सम्पूर्ण कालावधि जिसका आरम्भ विधान सभा की बैठकों के प्रारंभ होने के दिन से तीन दिन पूर्व होता हो और उसका अन्त विधान सभा की बैठकों के अनिश्चित काल के लिए स्थगन द्वारा या सत्रावसान द्वारा, जैसी भी कि दशा हो, समाप्त होने के दिन से ठीक तीन दिन पश्चात् होता हो.
धारा 3	प्रत्येक सदस्य को सात हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जायेगा.
धारा 4	प्रत्येक सदस्य को आठ हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.
धारा 4-क	प्रत्येक सदस्य को टेलीफोन भत्ते के रूप में एक हजार सात सौ पचास रुपये प्रतिमास दिये जायेंगे, चाहे उसके निवास स्थान पर टेलीफोन हो या न हो.
धारा 4-ख	प्रत्येक सदस्य को पांच हजार रुपये प्रतिमाह की दर से अर्दली भत्ता दिया जायेगा.
धारा 4-ग उपधारा (एक)	प्रत्येक सदस्य को सात सौ पचास रुपये की दर से दैनिक भत्ता दिया जायेगा.
धारा 4-ग उपधारा (दो)	उन दिनों के लिए, जिनमें सदस्य विधान सभा की बैठकों या समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं, वे राज्य की राजधानी तथा राज्य के बाहर ऐसी समिति की बैठक की तिथि के एक दिवस पूर्व, एवं बैठक के एक दिन बाद के लिए प्रतिदिन सात सौ पचास रुपये की दर से अतिरिक्त दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे.
धारा 7 (1)	प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह दो हजार पांच सौ रुपये का चिकित्सा भत्ता दिया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.